

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 15/2017

अनवान:-

शिवराज सिंह पुत्र सरजीत सिंह, जाति जटसिख, निवासी ढोलनगर, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राजस्थान)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत भाखरावाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भाखरावाली पंचायत समिति संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मिटू सिंह जाति नाई, निवासी ढोलनगर, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना-पत्र विरुद्ध पट्टा विलेख दिनांक 06.10.1988 जो अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत भाखरावाली के तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या-3 के पक्ष में निःशुल्क जारी किया गया, बमुराद मन्सूखी उक्त पट्टा विलेख व स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना-पत्र।

उपस्थित:-

- 1 श्री दलीप सारस्वत अभिभाषक निगरानीकर्ता।
- 2 श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02

-:निर्णय:-

दिनांक:-24.11.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं प्रार्थी गांव ढोलनगर का निवासी है तथा जागरूक नागरिक है व प्रार्थी के मकान का मुख्य द्वार उक्त गलीआम पर खुलता है जो सार्वजनिक गली है तथा प्रार्थी व अन्य समस्त ग्रामवासियों के लिए आवागमन की सुचारु गली है, जब से गांव बसा है तब से यह गलीआम सुचारु रूप से चल रही है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत ढोलनगर के तत्कालीन सरपंच द्वारा कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से गलीआम का पट्टा/विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 06.10.1988 को जारी कर दिया जबकि इस गलीआम / सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का पट्टे जारी करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं था लेकिन उनके द्वारा कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से इस गलीआम का पट्टा/विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है जिसका कोई अभिलेख ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं है व ना ही यह पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है जो अप्रार्थी संख्या 2 ने कतई विधि विरुद्ध रूप से फर्जी व कूटरचित रूप से तैयार किया गया है। ग्राम ढोलनगर की गलीआम में पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तथाकथित फर्जी व कूटरचित पट्टा की आड में दीवार निकालकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 को नोटिस जारी किए गए लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गलीआम में निकाली गई दीवार को नहीं तोड़ा जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत व अप्रार्थी संख्या 2 विकास अधिकारी द्वारा पुलिस व मजिस्ट्रेट की सहायता से उक्त गलीआम में किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर गलीआम को चालू करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त पट्टा के संबंध में प्रार्थी के विरुद्ध शाश्वत ब्यादेश का एक वादपत्र बनवानी बलविन्द्र सिंह बनाम शिवराज सिंह न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संगरिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त विवादित पट्टा न्यायालय में प्रस्तुत किया तब प्रार्थी को उक्त फर्जी व कूटरचित पट्टे का ज्ञान हुआ, तत्पश्चात् प्रार्थी ने उक्त पट्टा की पंचायत अभिलेख में जांच पड़ताल की तो पंचायत अभिलेख में उक्त पट्टा का कोई अभिलेख प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी जारी नहीं किया गया। उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 ने फर्जी व कूटरचित

तैयार किया है। उपरोक्त गलीआम के पट्टा/विक्रय विलेख का ग्राम पंचायत के अभिलेख में कोई रिकार्ड नहीं है व ना ही कहीं पर दर्ज किया गया है तथा ना ही इस पट्टा पर किसी प्रकार का क्रमांक नंबर व प्रस्ताव संख्या अंकित है। गलीआम की सार्वजनिक भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही अपास्त होने योग्य है। उपरोक्त गलीआम का पट्टा/विक्रय विलेख जारी करते वक्त पंचायत अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की पालना नहीं की गई व ना ही इस संबंध में कोई नोटिस जारी किया गया। निगरानीधीन पट्टा फर्जी व कूटरचित अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए भी तथाकथित पट्टा /विक्रय विलेख खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निः शुल्क जारी करना अंकित है जबकि ग्राम पंचायत को निः शुल्क पट्टा गलीआम की भूमि का जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। गलीआम सार्वजनिक स्थल है तथा ग्रामवासियों के लिए आवागमन के लिए जब से गांव बसा है, तब से चल रही है, इस प्रकार इस गलीआम के किसी भी भू-भाग का पट्टा जारी नहीं हो सकता, इसलिए भी तथाकथित पट्टा/विक्रय विलेख खारिज होने योग्य है। विवादित पट्टा पर सरपंच ग्राम पंचायत भाखरावाली की मोहर अंकित है लेकिन इस कार्यकाल में पंचायत के रिकार्ड के अनुसार यह पट्टा जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त पट्टा फर्जी व कूटरचित है जो इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पूर्व में इस विवादित पट्टा की आड में गलीआम पर अतिक्रमण कर गलीआम को बन्द कर दिया था जिस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस जारी किये गये लेकिन उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पुलिस व मजिस्ट्रेट की सहायता से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया गया था। विवादित स्थल गलीआम पर पानी सप्लाई की पाईप लाईन व विद्युत की लाईन बिछाई हुई है जिससे साबित है कि यह गलीआम है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त पट्टा के संबंध में प्रार्थी के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश का एक वादपत्र बानवानी बलविन्द्र सिंह बनाम शिवराज सिंह न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संगरिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त विवादित पट्टा न्यायालय में प्रस्तुत किया तब प्रार्थी को उक्त फर्जी व कूटरचित पट्टे का ज्ञान हुआ, तत्पश्चात् प्रार्थी ने उक्त पट्टा की पंचायत अभिलेख में जांच पड़ताल की तो पंचायत अभिलेख में उक्त पट्टा का कोई अभिलेख प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् प्रार्थी ने न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संगरिया में विचाराधीन उक्त पत्रावली से उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया जिस पर दिनांक 15.07.2016 को प्रार्थी को उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल हुई। तब प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी इस फर्जी पट्टे की जानकारी हो पाई, जानकारी से निगरानी अन्दर मियाद है। फिर भी मियाद माफी के लिए पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन पट्टा दिनांक 06.10.1988 निरस्त फरमाया जायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ कार्यालय का रिकार्ड तलब किया जाओ शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन पट्टा दिनांक 06.10.1988 निरस्त फरमाया जायें।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 02 की ओर से अपनी बहस में कथन किये कि अप्रार्थी के नाम से ग्राम पंचायत भाखरावाली के द्वारा गांव डोलनगर में एक भूखण्ड स. डी-1 साईज 45X30 = 1350 वर्गफुट दिनांक 06.10.1988 को आवंटित किया था। आवंटन के रोज ही ग्राम पंचायत के द्वारा अप्रार्थी को उसको आवंटित भूखण्ड का कब्जा सम्मला दिया। जिस पर अप्रार्थी द्वारा चार दीवारी कर कब्जा मौका पर कर लिया गया जो आज दिन तक लगातार व निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। अप्रार्थी एक मजदुर पेशा व्यक्ति है। जिसने उक्त प्लॉट को अपने नोहरा के रूप में उपयोग कर रहा है। जिस संदर्भ में कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी के इस प्लॉट के दक्षिण में गली आम, पश्चिम में गली आम पूर्व में भूखण्ड व उत्तर में भूखण्ड



सुखदेव सिंह का है। उक्त सुखदेव सिंह जो अप्रार्थी का भाई है, ने उक्त भूखण्ड अप्रार्थी को सम्भला रखा है। अप्रार्थी द्वारा सुखदेव सिंह के नाम के भूखण्ड सं. डी-2 पर भी चार दीवारी कर डी-2 पर काबिज घला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. डी-1 व डी-2 को एकजाई कर उसके चारे तरफ चार दीवारी निकाल रखी है। उक्त भूखण्डों को अप्रार्थी अपने पशुओं को रखने, रूढ़ो डालने व अन्य सामान रखने के लिये काम में ले रहा है जिस संदर्भ में कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी के भूखण्ड के उत्तर में मिटू सिंह का भूखण्ड है, मिटू सिंह के भूखण्ड के आगे गली आम है जो गली मिटू सिंह के भूखण्ड के उतर से होती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। मिटू सिंह के भूखण्ड के सामने गली की दूसरी ओर प्रतिवादी क प्लॉट है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्लॉट के आगे स्थित गली घर अवैध रूप से कब्जा कर गली आम को अपने भूखण्ड में शामिल कर लिया है तथा अब प्रार्थी अप्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम की ओर अपने भूखण्ड में शामिल कर लिया है तथा अब प्रार्थी अप्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम की ओर चल रही आम गली को अप्रार्थी के भूखण्ड के अन्दर से निकालने के लिये प्रयासरत् है क्योंकि निगरानीकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है। अप्रार्थी द्वारा गली आम पर अतिक्रमण कर मिटू सिंह के भूखण्ड सं. डी-3 के कुछ भाग घर भी अतिक्रमण कर लिया है। निगरानीकर्ता द्वारा गली आम पर अतिक्रमण करने के बाद गली आम बंद हो गई है। गली आम बंद होने से प्रार्थी अब अप्रार्थी के भूखण्ड की चार दीवारियों को तोड़कर अप्रार्थी के भूखण्डों के बीच में से डी-3 के उत्तर में चल रही गली को मिलाने के लिये प्रयासरत् है। प्रतिवादी एक प्रभावशाली व्यक्ति है तथा गांव का सरपंच व पुलिस निगरानीकर्ता के प्रभाव में है। प्रार्थी राजनैतिक रूप से भी शक्तिशाली व्यक्ति है। प्रार्थी अपनी इसी शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी के भूखण्ड में बनी चार दीवारी को तोड़कर उस स्थान पर गली बनाने के लिये प्रयासरत् है। यदि निगरानीकर्ता अपने इस अविधिक व मनमानापूर्ण कृत्य में कामयाब हो जाते हैं तो अप्रार्थी अपने साम्पतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। अप्रार्थी एक गरीब मजदुरी पेशा व्यक्ति है जिसके पास इन भूखण्डों के अलावा अन्य कोई भूखण्ड नहीं है। अप्रार्थी गांव का मजदुरी पेशा व्यक्ति होने के कारण ग्राम पंचायत के द्वारा अप्रार्थी को रिहाईश के लिये निःशुल्क पट्टा आवंटित किया था। जिस पर अप्रार्थी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जमा पुंजी लगाकर चार दीवारी की गई थी तथा उसके अन्दर एक झोपड़ा बनाया था। अप्रार्थी के पास इस भूखण्ड के अलावा अन्य कोई भूखण्ड नहीं है। यदि प्रार्थी अप्रार्थी के भूखण्ड से अनाधिकृत रूप से अवैध गली निकाल देते हैं। अप्रार्थी अपने विधिक व साम्पतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत भाखरावाली के द्वारा उसकी गरीबी व मजदुरी के वास्ते अन्य कोई भूखण्ड न होने के कारण निःशुल्क आवंटित किया था जिसका पट्टा ग्राम पंचायत भाखरावाली के द्वारा दिनांक 06.10.1988 को जारी किया गया था। अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा के आधार पर भूखण्ड पर काबिज है। जबकि निगरानीकर्ता के द्वारा गली आम पर अवैध अतिक्रमण कर उसी गली को अप्रार्थी के भूखण्ड से निकालने के लिये प्रयासरत् है। अप्रार्थी का पट्टा विधि अनुसार बनाया गया है। अतः निवेदन किया की निगरानी प्रार्थना खारिज योग्य होने के कारण फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अवलोकन किया गया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में निगरानी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व निगरानीकर्ता के शपथ पत्र के आधार पर निगरानी में हुयी देरी को न्यायहित में माफ (कन्डोन) करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।
2. ग्राम पंचायत भाखरावाली के पत्रांक 08.02.2018 से प्राप्त ग्राम पंचायत के नक्शे अनुसार प्रश्नगत पट्टे डी-1 एवं डी-2 दिनांक 06.10.1988 के गध्य गली आम दर्शायी गई है एवं अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस एवं वाद में अंकित किया की 'अप्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. डी-1 व डी-2 को एकजाई कर उसके चारे तरफ चार दीवारी निकाल रखी है'। इस प्रकार ग्राम पंचायत से प्राप्त नक्शे एवं अप्रार्थी के स्वयं के कथन अनुसार सिद्ध होता है की अप्रार्थी का गलीआम की जगह पर अतिक्रमण है।



3. अप्रार्थी केवल मौखिक कथन एवं कथित कब्जे के आधार पर अपना हक चाहता है। कब्जे के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा DNJ 2022 PAGE 302 Padhiyar Prahlad Ji Chomali (Deceased) Thro'LR vs Maniben Nagmalbhai (Deceased) Thro'LR' & others में मत प्रतिपादित किया है कि "उक्त स्थिति में भी अतिक्रमी को अनुतोष नहीं दिया जा सकता" अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रकरण आंशिक रूप से निगरानीकार के पक्ष में माना जा सकता है।

अतः निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भाखरावाली को निर्देशित किया जाता है की ग्राम पंचायत के नक्शे अनुसार भूखण्ड संख्या डी-1 एवं डी-2 के मध्य गलीआम से अतिक्रमण हटाकर आवागमन सुचारु किया जावे। ग्राम पंचायत भाखरावाली को निर्णय की प्रति सहित रिकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।



(
उमदी लाल मीना)
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़